पत्र संख्या-स्था-2-पी0एफ0-करतार सिंह वा0क0अ0/ 847 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अनुभाग)

:: लखनऊ:: दिनॉक:: 09 जून, 2017

समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / आहरण वितरण अधिकारी,

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में सरकारी कार्मिकों के वेतन दिनॉक 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित किये गये हैं। मुख्यालय स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनॉक 01 जनवरी 2016 के पश्चात नियुक्त वाणिज्य कर अधिकारियों का वेतन नियुक्ति की तिथि को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेबल-7 के न्यूनतम रु0 44,900-00 एवं वाणिज्य कर अधिकारी पद की ग्रेड वेतन रु04600-00 दिनॉक 06-7-2016 से संशोधित होकर रु0 4800-00 हो जाने के कारण दिनॉक 06-7-2016 को वेतन मैट्रिक्स के लेबल-8 के न्यूनतम वेतन रु0 47,600-00 पर निर्धारित किया गया, जो सही है किन्तु इसके पश्चात जिन वाणिज्य कर अधिकारियों को पुन: 01-01-2017 को अगली वार्षिक वेतन वृद्वि दे दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्वि 01 जनवरी 2017 को देय न होकर 01 जुलाई 2017 को देय होगी।

अत: आप अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों के वेतन निर्धारण आदेशों का परीक्षण कर लें और जिन कार्मिकों का उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित हुआ हो उनका वेतन निर्धारण तदनुसार संशोधित करते हुए त्रुटि का निराकरण कर लें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त परिपत्र एडीशनल कमिश्नर (लेखा)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश की प्राप्त राय के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनॉक उक्त ।

उपर्युक्त पत्र की प्रति समस्त जोनल एडीशलन कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।